

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-540 / 2005  
 संस्थित दिनांक-29.08.2005  
 फाईलिंग क्र.234503000182005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-ख्याली खान पिता पीरू खान, उम्र-38 वर्ष, जाति मुसलमान  
 निवासी-ग्राम रेंगाखार, थाना सालेवाड़ा  
 जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

2-राजू खान पिता शेरखान, जाति मुसलमान (फरार)  
 निवासी-ग्राम दरवाजा, थाना लोरमी,  
 जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

**आरोपीगण**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-21 / 07 / 2015 को घोषित)**

1- आरोपी ख्याली के विरुद्ध धारा-4 क, 6 क, 6 ख, 10, 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-06.04.2005 को रात्रि 8:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सालेवाड़ा में 12 नग बोदे एवं 3 नग बैल कीमती जुमला करीब 20,000/- (बीस हजार रुपये) को वध कराने के आशय से क्रय कर बिना किसी अनुज्ञापत्र के रेंगाखार ले जा रहा था।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-07.04.2005 को मंगलसिंह निषाद, जो कि गौ रक्षा समिति का सदस्य है ने थाना बिरसा में लिखित आवेदन दिया कि दिनांक-06.04.2005 को ग्राम सालेवाड़ा के पास कुछ लोग अशक्त एवं कृषि अयोग्य मवेशियों को मंडला क्षेत्र से खरीद कर कत्ल करने के उद्देश्य से ले जा रहे थे जिसकी सूचना पर वह अपनी समिति के सदस्य सहबू मरावी, भूनेश ठाकरे, राजू रहांगडाले, खेमेश्वर तिवारी, मामराज शरणागत, अनिल चौकसे, गणेश

रहांगडाले, भूपेन्द्र चौधरी, राधेश्याम तुरकर के साथ ग्राम सालेवाड़ा जाकर देखा तो पाया कि बूढ़े एवं असहाय कृषि पशु जिन्हे निर्दयता एवं क्रूरतापूर्वक कत्ल हेतु ले जाया जा रहा था, जिनसे पूछताछ करने पर उन लोगों ने अपना नाम ख्याली खान एवं राजू खान दोनों निवासी रेंगाखार होना बताया था तथा उन मवेशियों को हासम खान ग्राम रेंगाखार को देना तथा कत्लखाने पहुंचाना बताया था। आरोपीगण के पास से 12 नग व 3 नग बोदे पाए गए थे। उक्त लिखित आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-20/05, धारा-4 क, 6 क, ख, 10, 11 म.प्र. पशु अभिरक्षण 1959 के तहत दर्ज की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। आरोपीगण से मवेशी जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- प्रकरण में आरोपी राजू खान फरार है। आरोपी ख्याली खान को धारा-4 क, 6 क, 6 ख, 10, 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ख्याली ने दिनांक-06.04.2005 को रात्रि 8:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सालेवाड़ा में 12 नग बोदे एवं 3 नग बैल कीमती जुमला करीब 20,000/- (बीस हजार रुपये) को वध कराने के आशय से क्रय कर बिना किसी अनुज्ञापत्र के रेंगाखार ले जा रहा था ?

#### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- मंगलसिंह (अ.सा.1) ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी ख्याली खान एवं राजू खान को पहचानता है। आरोपीगण से जानवर पकड़ने के बाद उसने आरोपीगण को देखा था। घटना लगभग 5-6 वर्षों की है, वह उस समय बजरंगदल का कार्यकर्ता था। गांव वालों ने उसे जानकारी दिये थे कि उन्होंने जानवर पकड़े हैं, जिसमें कुल 15 जानवर हैं, जिनमें 3 बैल और 12 बोदे हैं। उसे पता चला था

कि जानवरों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। आरोपीगण के जानवरों को बजरंग दल के संयोजक राजू रहांगडाले एवं सहबू के द्वारा पकड़ा गया था। उक्त कार्यकर्ता जानवरों को गौ शाला बारासिवनी ले गए। उक्त घटना के संबंध में कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस थाने में सूचना दी गई। उसके बाद आरोपीगण को गिरफ्तार कर ले गए थे। घटना के संबंध में पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट की गई थी, जो कार्यकर्ताओं द्वारा लिखी गई थी, जिस पर उसने विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष होने के नाते हस्ताक्षर किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल दिखा दिया था, जिसका मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त जानवरों को आरोपीगण से बरामद कर उसने अपनी अभिरक्षा में रखा था। सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने समस्त कार्यकर्ताओं के समक्ष आरोपीगण से पकड़े गए 13 नग बोदे एवं 3 नग बैल पुलिस को सुपुर्द किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। आरोपीगण से जो जानवर बरामद किये थे, वे बूढ़े थे। आरोपीगण से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया था कि जानवरों को कत्लखाने ले जाया जा रहा था।

6— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया था और पुलिस को प्रदर्श पी-5 के कथन के अनुसार बयान दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस समय आरोपीगण जानवर लेकर जा रहे थे, उस समय वह नहीं था तथा जानवरों को कहां ले जा रहे थे, इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण उक्त जानवरों को काटने के लिए नहीं ले जा रहे थे, बल्कि खेती के लिए ले जा रहे थे। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं, जिस कारण अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— राधेश्याम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना करीब 4-5 साल पूर्व रात्रि 9-10 बजे ग्राम मानेगांव की है। मानेगांव के गौ रक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जानवर लेकर आ रहे हैं और उक्त जानवर कृषि योग्य नहीं है, तब वह 4-5 लोगों के साथ सूचना देने थाना बिरसा गया था। फिर पुलिस के साथ मौके पर गया था। पुलिस ने उसके सामने

कार्यवाही की थी। उस समय 10-12 मवेशी एवं दो व्यक्ति मिले थे, जिन्होंने अपना नाम राजू एवं ख्यालसिंह बताया था। पुलिसवालों ने कहा कि जानवरों को गौ रक्षा समिति वारासिवनी भेज देंगे। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपीगण जानवर कहां लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जानवर कहां से पकड़ कर लाए थे, उसे नहीं मालूम तथा इस संबंध में उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की गई थी और यदि आरोपीगण के पास मवेशी खरीदी की रसीद हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

8— सहबू (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना वर्ष 2005 की है। वह वर्ष 2003 से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। उसे घटना दिनांक को सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लोगों द्वारा 12 नग बोदा एवं 3 नग बैल को कत्ल करने हेतु छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना मिलने पर वे अपने 5-6 कार्यकर्ता के साथ ग्राम सालेवाड़ा के पास गए, तो उन्हें सालेवाड़ा के जंगल में दो लोग मिले, जिसमें एक ने अपना नाम ख्याली खान तथा दूसरे का नाम अलिन करके ध्यान आ रहा है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण के आधिपत्य से उक्त मवेशी पाए गए थे, जो कृषि अयोग्य थे और कत्लखाना ले जा रहे थे।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त जानवर कृषि योग्य थे तथा उनसे खेती की जा सकती थी, पुलिस वालों के द्वारा उनके समक्ष कोई पूछताछ नहीं की गई थी तथा उसे यह जानकारी नहीं थी कि उक्त जानवर कत्ल के लिए ले जा रहे थे या कृषि के लिये। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं, जिस कारण साक्षी के कथन से आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— ममराज (अ.सा.2), गणेश (अ.सा.5), भूपेन्द्र (अ.सा.6) एवं भूनेश ठाकरे (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानते हैं। घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।



साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में घटना के बारे में कोई जानकारी न होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षीगण होते हुए भी अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं करते हैं।

11— दीपक डग्गर (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण की पहचान नहीं की है तथा पुलिस के द्वारा उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार कार्यवाही किये जाने और उस पर हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। साक्षी ने आरोपीगण की गिरफ्तारी कार्यवाही का भी समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

12— डॉक्टर अरुण नेमा (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.04.2005 को पशु चिकित्सालय बिरसा में पशु चिकित्सक सहायक शल्य के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना बिरसा से प्रतिवेदन पशु परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा 12 बोदे और 3 बैल का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सभी जानवर 10 वर्ष से अधिक उम्र के थे, अत्यधिक कमजोर होकर कृषि कार्य के अयोग्य थे। यदि उक्त जानवरों का उचित देखभाल एवं ईलाज किया जाता तो उक्त पशु 2-3 वर्ष तक कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जा सकते थे। पशु क्रमांक-1 बोदे के सींग में क्षति के निशान थे। पशु क्रमांक-2 बोदा पिछले पैर से लंगड़ रहा था। पशु क्रमांक-3 त्वचा का इन्फेक्शन एवं दाहिने कान में घाव था। पशु क्रमांक-5 बोदा का दाहिना सींग टूटा हुआ था। पशु क्रमांक-10 एवं 11 को आंखों की बीमारी थी। शेष जानवरों में उसने चोट के निशान नहीं पाया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि सभी जानवर की सेवा ठीक से की जाए तो सभी जानवर लगभग दो-तीन साल तक कृषि कार्य कराया जा सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मवेशियों की औसत आयु 14-15 वर्ष की होती है तथा सभी पशु 10-12 साल के थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जानवरों के सींग एक दूसरे से लड़ने से टूट सकते हैं। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में जानवरों के परीक्षण में कृषि कार्य के अयोग्य होना बताया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त जानवर से दो-तीन साल तक कृषि कार्य कराया जा सकता था।

13— अनुसंधानकर्ता अधिकारी बसंत ठाकरे (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.04.2005 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक

के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी बिरसा संजय भारती के द्वारा प्रार्थी मंगल निसाद के लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-20/05, धारा-4 क, 6 क, ख, 10, 11 म.प्र. पशु परिरक्षण 1959 के तहत आरोपी खयाली खान एवं राजू खान के विरुद्ध में लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-13 है, जिस पर थाना प्रभारी संजय भारती के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह उनके अधिनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-07.04.2005 को प्रार्थी मंगल निसाद की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी मंगल निसाद, साक्षी मामराज, राधेश्याम एवं दिनांक-18.04.2005 को साक्षी सहबू सिंह, गणेश, भूपेन्द्र, भूमेश, राजू राहांगडाले, खेमेश्वर एवं अनिल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी मंगल निसाद से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-14 अनुसार 13 नग बोदे एवं तीन नग बैल जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी खयाली खान को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा पशुओं का पशु चिकित्सा अधिकारी बिरसा से परीक्षण करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया है। जप्तशुदा मवेशियों को गौवंश रक्षण समिति वारासिवनी को हिफाजतनामे में दिया गया था। हिफाजतनामा की प्रति चालान के साथ संलग्न किया है। दिनांक-09.04.2005 को आरोपी राजू खान को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

14- प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिन महत्वपूर्ण साक्षीगण को पेश किया गया है, उनमें से अधिकांश साक्षीगण ने आरोपी खयाली को पहचानने से इंकार करते हुए घटना के बारे में कोई जानकारी न होना प्रकट किया है। अभियोजन साक्षी मंगल (अ.सा.1), राधेश्याम (अ.सा.3) व सहबू (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी खयाली की पहचान की है, किन्तु इन साक्षीगण ने अपने मुख्यपरीक्षण में किये गए कथन से हटकर प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। इन साक्षीगण ने बचाव पक्ष का इस तथ्य के संबंध में समर्थन किया है कि आरोपी खयाली के द्वारा ले जा रहे मवेशी कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जा सकते थे। इसके अलावा इन साक्षीगण ने

अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि आरोपी ख्याली के द्वारा कथित मवेशी को वध करने के प्रयोजन से कत्ल खाना या राज्य से बाहर परिवहन किया जा रहा था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह संभावना प्रकट नहीं होती है कि आरोपी ख्याली के द्वारा कथित मवेशियों को वध करने के प्रयोजन से परिवहन किया जा रहा था या उसकी संभावना थी।

15— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई है कि मवेशियों को कृषि कार्य हेतु ले जाया जा रहा था, जिसे महत्वपूर्ण साक्षीगण ने स्वीकार किया है, जिससे यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि आरोपी ख्याली के द्वारा कथित मवेशियों को कृषि के प्रयोजन हेतु परिवहन किया जा रहा था न कि वध करने के प्रयोजन से परिवहन किया जा रहा था। ऐसी दशा में आरोपी ख्याली के पास कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पशुओं के निर्यात के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं रह जाती। उक्त अधिनियम के अलावा आरोपी ख्याली के विरुद्ध जप्तशुदा पशु के विरुद्ध अन्य अपराध कारित किये जाने का आरोप नहीं है।

16— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन मामलों में कई संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें अभियोजन ने साक्ष्य में दूर नहीं किया है। अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामलों का समर्थन न करते हुए बचाव पक्ष का समर्थन किया गया है। ऐसी दशा में शेष समर्थनकारी साक्ष्य का मामलों में अधिक महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। अतएव आरोपी ख्याली को म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा-4 क, 6 क, 6 ख, 10, 11 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी ख्याली के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में आरोपी राजू खान फरार होने से जप्तशुदा मवेशी के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट